



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102026-276934
CG-DL-E-08102026-276934

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5262]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 6, 2026/आश्विन 14, 1948

No. 5262]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 6, 2026/ASVINA 14, 1948

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5472(अ).— जबकि, मैसर्स एन.टी.पी.सी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय नेत्र बिल्डिंग, ई-3, इकोटेक-2, उद्योग विहार, गौतम बुद्धनगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201306 में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना "राजस्थान के बीकानेर में प्रस्तावित 1900 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए मैसर्स एनआरईएल को कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु पारेषण प्रणाली" के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. **25-17/111/2024-PG** दिनांकित 16.12.2024 के द्वारा ट्रांसमिशन योजना "राजस्थान के बीकानेर में प्रस्तावित 1900 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए मैसर्स एनआरईएल को कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु पारेषण प्रणाली" के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मैसर्स एन.टी.पी.सी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने स्थानीय समाचार पत्रों द इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी में) दिनांक 11.02.2025 और राजस्थान पत्रिका, दैनिक युग पक्ष (हिंदी में) दिनांक 11.02.2025 और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 29.03.2025 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मैसर्स एन.टी.पी.सी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने 11.07.2026 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें यह घोषित किया जाता है कि तीन आपत्तियाँ/प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से सभी की विधिवत जाँच की गई, उन पर उचित रूप से

प्रत्युत्तर दिया गया तथा भारत सरकार के समाचार-पत्र/राजपत्र में सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर उनका निस्तारण कर दिया गया।

मैसर्स एन.टी.पी.सी. रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने दिनांक 11.07.2026 को एक वचन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन(नो) का मार्ग राजस्थान के संशोधित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) प्राथमिकता क्षेत्र के बाहर स्थित है, जैसा कि रिट याचिका (सिविल) संख्या 838/2019 के दिनांक 19.12.2025 के आदेश में संदर्भित है। आवेदक ने यह भी वचन दिया है कि वह उक्त निर्णय में निहित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्देशों तथा उक्त आदेश के अनुपालन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा भविष्य में जारी किए जाने वाले किसी भी निर्देश का पूर्णतः पालन करेगी। साथ ही, आवेदक ने यह भी बताया गया है कि ट्रांसमिशन लाइन का संरेखण इस प्रकार बेहतर बनाया गया है कि जहाँ तक संभव हो, वे अधिकतम साझा मार्ग का उपयोग करें।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत ट्रांसमिशन योजना "राजस्थान के बीकानेर में प्रस्तावित 1900 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए मैसर्स एनआरईएल को कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु पारेषण प्रणाली" के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हैं:

- एन. टी. पी. सी. अक्षय ऊर्जा लिमिटेड सौर ऊर्जा परियोजनाओं (150 मेगावाट, 700 मेगावाट, 400 मेगावाट, 250 मेगावाट और 400 मेगावाट) के लिए सामान्य पूलिंग स्टेशन-बीकानेर IV पी. एस. 400 के. वी. डी./सी. लाइन (लगभग लंबाई 18 कि. मी. है जिसमें से बीकानेर-IV पी. एस. छोर से लगभग 2-3 कि. मी. एम./ सी. टावरों पर लागू की जाएगी)।

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन राजस्थान राज्य के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुजरेगी।

क्र. सं.	गाँवों के नाम	तहसील	ज़िला
1	लाखूसर	बीकानेर	बीकानेर
2	कालासर	बीकानेर	बीकानेर
3	बरजू	पूगल	बीकानेर
4	सरदारपूरा	छतरगढ़	बीकानेर
5	केलां	छतरगढ़	बीकानेर
6	अम्बारण	छतरगढ़	बीकानेर
7	राजासर भाटियान	छतरगढ़	बीकानेर

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मैसर्स एन.टी.पी.सी. रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं-

- यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।

- v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्वधीन है।
- vi. मैसर्स एन.टी.पी.सी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
- vii. यदि, उपरोक्त ओवरहेड लाइन का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ हिस्सा) संशोधित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है, तो आवेदक को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट याचिका (सिविल) संख्या 838/2019 में दिनांक 19.12.2025 के आदेश और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुसरण में सक्षम अधिकारियों द्वारा दिए गए किसी भी अन्य निर्देशों का पालन करना होगा।

[फा. सं. 25-16/83/2026-पावर ग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER ORDER

New Delhi, the 6th October, 2026

S.O. 5472(E).— Whereas M/s NTPC Renewable Energy Limited (NREL) having its registered office at NETRA Building, E-3, Ecotech- II, Udyog Vihar, Goutam Buddha Nagar, Greater Noida, Uttar Pradesh-201306, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme “Transmission system for providing connectivity to M/s NREL for its proposed 1900 MW Solar Power Project in Bikaner, Rajasthan”.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter no. 25-17/111/2024-PG dated 12.12.2024 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme “Transmission system for providing connectivity to M/s NREL for its proposed 1900 MW Solar Power Project in Bikaner, Rajasthan”.

M/s NTPC Renewable Energy Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers The Indian Express & Hindustan Times (in English) dated 11.02.2025 Rajasthan Patrika & Dainik Yug Paksh (in Hindi) dated 11.02.2025 and in Weekly Gazette of India dated 29.03.2025 for the general public to make observations/ representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s NTPC Renewable Energy Limited has submitted an affidavit dated 29.09.2026 declaring that three observations/representations were received, all of which were duly examined, suitably responded to, and resolved within a period of two months from the date of publication of the Public Notice in the newspaper/Official Gazette of the Government of India

NTPC Renewable Energy Limited had submitted an Undertaking dated 11.07.2026 stating that the route of the proposed overhead transmission line(s) is located outside the Revised Great Indian Bustard (GIB) Priority Area of Rajasthan and Gujarat, as referred to in the judgment of the Hon’ble Supreme Court of India dated 19.12.2025 in Writ Petition (Civil) No. 838 of 2019; the applicant has further undertaken to comply with all directions of the Hon’ble Supreme Court as contained in the said judgment as well as with any subsequent directions issued by the competent authorities in pursuance of the above order by the Hon’ble Supreme Court, and has also stated that the transmission line alignment has been optimized, in such a way that they share maximum common stretch to the extent possible.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electrical lines under the transmission scheme “Transmission system for providing connectivity to M/s NREL for its proposed 1900 MW Solar Power Project in Bikaner, Rajasthan”. The following overhead transmission line is covered under this scheme:

- Common Pooling Station for NTPC Renewable Energy Limited Solar Power Projects (150 MW, 700 MW, 400 MW, 250 MW, and 400 MW) – Bikaner IV PS 400 kV D/c Line (Approx length is 18 km out of which about 2-3 kms from Bikaner-IV PS end would be implemented on M/c towers).

The overhead transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of **Rajasthan**:

S.No.	Village	Tehsil	District
1	Lakhusar	Bikaner	Bikaner
2	Kalasar	Bikaner	Bikaner
3	Barju	Pugal	Bikaner
4	Sardarpura	Chattargarh	Bikaner
5	Kelan	Chattargarh	Bikaner
6	Ambaran	Chattargarh	Bikaner
7	Rajasar Bhatiyani	Chattargarh	Bikaner

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/S NTPC Renewable Energy Limited (NREL) for laying above overhead transmission line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- The approval is granted for 25 years.
- The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities, i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- The Applicant shall have to follow regulations/ codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under the Electricity Act, 2003.
- The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- M/s NTPC Renewable Energy Limited (NREL) shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.
- In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Revised Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the directions of Hon'ble Supreme Court of India in its order dated 19.12.2025 in Writ Petition (Civil) No. 838 of 2019 and any other directions given by competent authorities in pursuance of the above order by Hon'ble Supreme Court.

[F. No. 25-16/83/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)